न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला- बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 66/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम II, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्राथी – 1.बंशीधर पुत्र पन्नालाल, जाति महाजन
निवासी चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री फताराम गोदारा**

निर्णय

दिनांक :– 29.09.2021

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा बीजराड़ के पुराने खसरा सं. 242/3 नवीन खसरा सं. 961/242 रकबा 29.04 बीघा का आया हुआ है। पुराना खसरा सं. 242/3 रकबा 29.04 बीघा भूमि की नेखमबन्दी हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी मुख्यालय बाड़मेर में आवेदन पेश किया। उक्त नेखमबन्दी आवेदन पत्र के सलंग्न राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति नकल खतौनी मय नक्शा प्रति तत्कालीन पटवारी बीजराड़ द्वार पी–35 क्रमांक 2972 दिनांक 17.01.2004 पर दर्ज कर जारी की गई। उक्त नकल नक्शा टेस प्रति में नेख[illegible] आवेदित खातेदारी खेत मौजा बीजराड़ के खसरा सं. 242/3 के पड़ो[illegible] विवादित खसरा सं. 242/1 का अंकन किया है, जिसमें भूराराम के सेढ़े पर केलन[illegible] के पश्चिम की तरफ [illegible]ली सड़क के पास पहले से की हुई है, जो विधि सम्मत नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मौजा बीजराड़ के पुराने खसरा सं. 242/1 नवीन खसरा सं. 960/242 रकबा 02.00 बीघा जिसका राजस्व रेकर्ड में पुराने नक्शे में तरमीम आदिनांक तक मौजूद स्थान पर दर्ज होने के उपरान्त भी नक्शा ट्रेस में मेरी खातेदारी खेत के पुराने खसरा सं. 242/3 (नवीन खसरा सं. 961/242) तरमीम सुदा में और अंकन की गई है जो विधि विरूद्ध अंकन की गई। मौजा बीजराड़ के पुराने खसरा सं. 242/3 (नवीन खसरा सं. 961/242) रकबा 29.04 बीघा की प्रमाणित प्रति मांगी गई तो प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत पुराने खसरा सं. 242/3 (नवीन खसरा सं. 961/242) रकबा 29.04 बीघा में पुराने खसरा सं. 242/1 (नवीन खसरा सं. 960/242) की तरमीम हेाना पाया बताया।

इस प्रकार पटवारी हल्का बीजराड़ द्वारा विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जा सुदा खातेदारी भूमि का नक्शा ट्रेस में अंकन निरस्त करने से पूर्व उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। पटवारी द्वारा बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेजों का प्रमाणिकता से जांच किये आलोच्य नक्शा में तरमीम की गई। जो निरस्त कर अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा बीजराड़ के खसरा सं. 242/3 (नवीन खसरा सं. 961/242) रकबा 29.04 बीघा भूमि में पुराने खसरा सं. 242/1 (नवीन खसरा सं. 960/242) रकबा 02.00 बीघा की गलत तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। उक्त विवादित खसरा सं. 242/1 का पूर्व में नक्शें में अंकित बरंग स्थान (भूराराम के सेढे पर केलनोर से पश्चिम की तरफ जाने वाली सड़क के पास) पर नक्शा ट्रेस में तरमीम राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया । विप्रार्थी के नोटिस बाद तामिल प्राप्त । तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया तहसीलदार से तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील ने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार की। पत्रावली का अवलोकन किया। सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बीजराड़, तहसील चौहटन के खसरा सं. 9961/242 रकबा 29.04 बीघा एवं खसरा सं. 960/242 रकबा 02.00 बीघा भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित नक्शा अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रपत्र 2

नक्शा ट्रेस

[illegible] / [illegible]

राजस्व प्रकरण सं.

66/2021

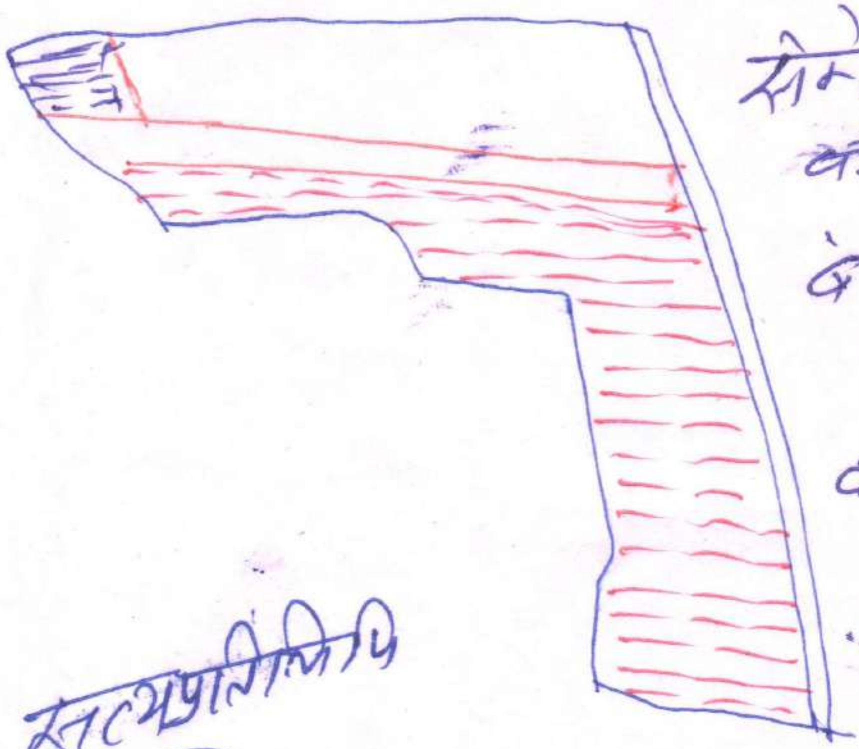

सीमा

वरेग लाल

श्रीधर [illegible]

[illegible]

वरेग [illegible]

रास्ता [illegible]

[illegible] 760

242

सत्यप्रतिलिपि

[illegible]

प. बीजराड़

[illegible]

[illegible] बीजराड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:10 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन